भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 894

उत्तर देने की तारीख : 07.12.2023

दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन

894. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ये कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है; और

(ग) दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों द्वारा सृजित राजस्व का राज्य/जिला/उद्योग-वार विशेषकर छत्तीसगढ़ में, ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : एमएसएमई मंत्रालय अपनी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों तथा नीतिगत पहलों के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य सहित देशभर में दिव्यांगों के स्वामित्व वाले एमएसएमई भी शामिल हैं, को प्रोत्साहन प्रदान करता है। एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैंपियंस आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एमएसएमई मंत्रालय ने 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए 18 व्यवसायों में शामिल व्यक्तियों जो अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगर और शिल्पकार हैं, को लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 07.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की है।

एमएसएमई मंत्रालय की राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 'दिव्यांग' श्रेणी से संबंधित उद्यमियों को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है जिसमें प्रत्येक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी एवं प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, खरीद और विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत घरेलू व्यापार मेलों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आयोजित समारोहों में न्यूनतम स्टॉल के बिल्टअप क्षेत्र जो दिव्यांग व्यक्ति के स्वामित्व वाली इकाइयों को जारी किया जाता है, के किराए के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी द्वारा परियोजना लागत के 10 प्रतिशत अंशदान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है जबकि दिव्यांगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में यह सब्सिडी 25 प्रतिशत है। यह लाभार्थी द्वारा परियोजना लागत के 5 प्रतिशत अंशदान के साथ लागू है।

एमएसएमई मंत्रालय दिव्यांगों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों द्वारा सृजित राजस्व के संबंध में राज्य/जिला/उद्योग-वार किसी प्रकार के आंकड़े का रखरखाव नहीं करता है।

****